न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर ग्रामीण) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 32/2024
जीसीएमएस नं. :– 2023/52

वादीनी :–
कालीदेवी पत्नि अणदाराम जाति माली निवासी सिलारी रोड़ पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादी :–
सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दर्ज तारीख :– 15.07.2021

उपस्थित :
श्री जितेन्द्र कच्छावाह अधिवक्ता वादीनी।
तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

आदेश

दिनांक : 29.08.2024

वादी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– वादिनी की ओर से वादपत्र निम्न प्रकार से है :– ग्राम पीपाड शहर पटवार क्षेत्र पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादिनी की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 2246/2 क्षेत्रफल 0.6472 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 145 व पूराना 23 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरें की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । 2. यह है कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादिनी का नाम कालची पत्नि अणदाराम अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण नाम है जबकि वादिनी का सही व वास्तविक नाम कालीदेवी पत्नि अणदाराम है। वादिनी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवारकार्ड, बैंक डायरी, परिचयपत्र, जनआधार कार्ड में वादिनी का सही नाम कालीदेवी पत्नि अणदाराम अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादिनी का नाम भुलवश सेवन से घरेलु बोलचाल का नाम कालची अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें का वादिनी अधिकारिणी है। वादिनी द्वारा दिनांक 01.02.2024 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादिनी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादिनी के पास विकल्प नही है इसलिए वादिनी का उक्त वाद वास्तें सही नाम कालची पत्नि अणदाराम के स्थान पर कालीदेवी पत्नि अणदाराम किये जानें की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। इंस्तदुआ वादिनी निम्न प्रकार से है :– वादिनी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम पीपाड शहर पटवार क्षैत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादिनी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 2246/2 क्षैत्रफल

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

0.6472 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादिनी का नाम कालची पत्नि अणदाराम के स्थान पर कालीदेवी पत्नि अणदाराम घोषित किया जावें। अन्य अनुतोष जो हित वादीनी हो वादीनी के पक्ष में अता फरमावें।

वादीनी के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार को नोटिस जारी किया गया । प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 2246/2 रकबा 0.6472 हैक्टयर भूमि में वादीनी के वाद, शपथ पत्र, संलग्न दस्तावेजो के आधार पर कालीदेवी पत्नि अणदाराम दर्ज हैं। दर्ज नाम कालची व कालीदेवी दोनो एक ही महिला होने से कालची के स्थान पर कालीदेवी किये जाने की अनुशंषा की हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी। जिसमें वकील वादीनी ने अपनी बहस में वाद पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2246/2 में दर्ज नाम कालची के स्थान पर कालीदेवी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने इस सम्बन्ध में अनापति जाहिर की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया, संगत विधिक प्रावधानों पर गौर कर बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 2246/2 में दर्ज नाम कालची के स्थान पर कालीदेवी दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(वूदाराम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को सर–ए–इजलास में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(वूदाराम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर